राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 71/2018 दायर तारीख 13.11.2018

अनवान्

(1) हीरा पिता मांगीलाल जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
(2) कल्याण पिता मांगीलाल जाति भील उम्र बालिग निवासी काबरी (मांगटला) तहसील माण्डलगढ
(3) गंगाराम पिता मांगीलाल जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी गमपुरा तहसील बिजौलिया
(4) प्रभु पिता मांगीलाल जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलिया

..........वादीगण

बनाम

(1) राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाडा
(2) तहसील कार्यालय बिजौलिया मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलिया
(3) वन कार्यालय मार्फत वनाधिकारी महोदय माण्डलगढ जिला भीलवाडा

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य– अधिवक्ता वादी।
2. श्री निर्मल जोशी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।
3. श्री लक्ष्मीलाल सुराणा – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : २० / ॥ /2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र **अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1–3 जा0दी0 अन्तर्गत धारा 88–188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के दादा चन्दा पिता गोमा जी जाति भील निवासी बांका तत्कालीन समय की उप तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा के निवासी थे जिनके सर्वाधिकार एवम एकल स्वामित्व व कब्जे की कृषि भूमि वर्तमान तहसील बिजौलिया के राजस्व ग्राम मोजा बांका में स्थित है बन्दोबस्त पूर्व के राजस्व अभिलेखो मे निम्नानुसार दर्ज उनकी खातेदारी मे भूमि दर्ज अभिलेख थी। (अ) खसरा सख्या 64/1 रकबा 7 बिस्वा (ब) खसरा सख्या 65/1 रकबा 6 बिस्वा (स) खसरा सख्या 68/1 रकबा 19 बिस्वा (द) खसरा सख्या 83/1 रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा होकर जरिये काश्त के उनके कब्जे काश्त मे चली आ रही थी जो राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2010 से 2027 तक चन्दा पिता गोमा जी भील की खातेदारी मे दर्शायी हुयी है। बन्दोबस्त कार्यवाही संवत 2024 से 2028 की अवधि तक चली। चन्दा जी भील की मृत्यु हो गयी है। बन्दोबस्त विभाग को न तो किसी की खातेदारी भूमि की खातेदारी समाप्त करने का अधिकार था न ही भूमि का किसी के अन्य के नाम दर्ज करने का अधिकार था केवल भूमि की नपती पुरानी जरीव 165 फीट के स्थान पर नयी जरीब 132.5 फीट जरीब से बनने वाले रकबे के अनुसार खातेदार के नाम पर इन्द्राज करनी थी इसके अतिरिक्त किस्म भूमि व लगान परिवर्तन का पृष्ठांकन राजस्व अभिलेखो मे मूल खातेदार के नाम पर किया जाना था। गत बन्दोबस्त मे जिस भूमि का रकबा पुरानी जरीब से 1 बीघा 16 बिस्वा दर्ज अभिलेख था उसका नयी नाप की जरीब से करीब 2 बीघा 12 बिस्वा बनता है उक्त रकबा बनाकर बन्दोबस्त विभाग को चन्दा पुत्र गोमा जी भील के नाम पर दर्ज किया जाना था जिसके लिए बन्दोवस्त विभाग कानूनी रूप से कर्तव्यबद्ध था। उसकी पालना बन्दोबस्त विभाग ने नही की।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज सख्या 02 पर

बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियो ने अपने अधिकारो से परे जाकर चन्दा जी ील की खातेदारी भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकार के आदेश अथवा डिक्री के उनके नाम से विलोपित र दिया। उनका यह कृत्य अतिशयोक्ति पूर्ण होकर विधि में अमान्य है। बन्दोबस्त विभाग ने गत बन्दोबस्ती ादग्रस्त खसरा नम्बरान के क्या नये खसरा नम्बर बनाये उसका विवरण भी मिलान खसरे मे नही दिया। स प्रकार राजस्व अभिलेखो में चन्दा जी भील की खातेदारी भूमि बाबत अधिकारो के परे जाकर मनमाने न्दाज किये व भूमि वन विभाग के खाते डाल दी। किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि को उसके खाते से हटाने की कानूनी व्यवस्था उसी स्थिती में है। जब खातेदार का कोई उत्तराधिकारी नही रहा है या खातेदार ने भूमि का वैध रूप से अन्तरण कर दिया हो या सरकार द्वारा खातेदार की मुआवजे के बदले में भूमि की आवाप्ती कर ली हो। इनमे से स्व० चन्दा जी भील की खातेदारी भूमि बाबत कोई कार्यवाही नही हुयी उसके बावजूद भी खातेदारी से भूमि हटाया जाना विधि विरुद्ध मूलतः शून्य व अवैध है। स्व० चन्दा जी के उत्तराधिकारी उस भूमि को अपने खाते मे दर्ज करवाने के अधिकारी है। वर्तमान में स्व० चन्दा जी भील के उत्तराधिकारी वादीगण है जिन्हे वादग्रस्त भूमि के नये नम्बरान की खातेदारी बाबत घोषणात्मक डिक्री पाने का अधिकार है। गत बन्दोबस्त नक्शा ट्रेस मे आराजी खसरा न० 64/1, 65/1, 68/1, व 83/1 को दर्शाया हुआ है उसी अनुसार नक्शे में उसकी स्थिती को स्पष्ट किया जाकर वादीगण वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी पाने के अधिकारी है। स्व० चन्दा पुत्र गोमा जी भील अशिक्षित ग्रामीण काश्तकार थे वे यह समझते रहे कि बन्दोबस्त विभाग ने उनके खाते की भूमि को यथावत दर्ज कर दिया होगा उनके राजस्व रेकर्ड देखने का कोई काम नही पडा न ही उन्होने अपनी भूमि को किसी विभाग के पक्ष में समर्पित किया। उनका पुत्र मांगीलाल जो कि वादीगण का पिता था जो भी अशिक्षित था। उसे अपने जीवन काल मे जब पटवारी हल्का के माध्यम से उसके पिता चन्दा जी भील की मृत्यु के पश्चात उसके कब्जे में आयी भूमि उसके नाम पर नही आने की जानकारी हुयी तो उसके द्वारा प्रतिवादी सख्या 2 के स्तर पर खाते में सही नम्बर की भूमि दर्ज कराने हेतु निवेदन किया किन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुयी व उनकी भी मृत्यु हो गयी। वादीगण द्वारा प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किये गये कि उनके बाप दादाओ की खातेदारी भूमि को उनके नाम दर्ज अभिलेख किया जाय तो प्रतिवादी सख्या दो के अधिनस्थ कर्मचारियो वादीगण के कब्जे की स्थिती स्पष्ट होते हुये मिलान खसरा अनुसार नम्बरान का सही मिलान नही होने खाते मे दर्ज करने सम्बन्धी कार्यवाही को करने में असमर्थता जाहिर कर सक्षम न्यायालय से डिक्री व आदेश लेकर आने की स्थिती मे ही वादीगण के नाम पर उनके अधिकार की भूमि का इन्द्राज किया जाना सम्भव होना बताया। वादीगण को यह जानकारी दी गयी कि जिस स्थान पर वादीगण व उनके पूर्वजो का खातेदारी भूमि पर कब्जा रहा है वह वर्तमान में प्रतिवादी सख्या 3 के नाम पर दर्ज है तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को धारा 80 दि०प्र०स० के तहत नोटिस देकर उनकी पुश्तेनी जायदाद को वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 9–8–2018 को दिया गया नोटिस प्रतिवादीगण व पटवारी हल्का व राजस्व निरीक्षक को प्राप्त हो गया किन्तु नोटिस प्राप्त कर्ता जो कार्यवाही करने में सक्षम है उन्होंने न तो नोटिस का जवाब दिया और न वादीगण को उनकी खातेदारी भूमि के नम्बर बताये न ही वन विभाग से भूमि निकाली जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की गयी। प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि को अन्य के खाते या अपने खाते में दर्ज अभिलेख रखने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण वादीगण को उनकी खातेदारी भूमि की खातेदारी से वंचित रख वादीगण के सम्पति सम्बन्धी अधिकारो का हनन कर रहे है। अपने राजस्व रेकार्ड के गलत पोषण का बेजा लाभ उठा वादीगण को खातेदारी अधिकारो से वंचित रख भूमि अवैध अन्तरण व अन्यथा रूप से उपयोग में लेने के लिए वादीगण की प्रशासनिक बल पर बेदखली कर सकते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर वादीगण के खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा किया जाना न्यायोचित है। बिनायदावा धारा 80 दि०प्र०स० सूचनापत्र दिनांक 9–8–2018 व बन्दोबस्त के पश्चात मांगीलाल पुत्र चन्दा भील द्वारा 10 वर्ष पूर्व की जाने वाली खातेदारी लेने से बाबत कार्यवाही से उत्पन्न हो जारी है।

अतः वादीगण अनुतोष चाहते है कि – (अ) मौजा बांका स्थित गत बन्दोबस्ती खसरा सख्या 64/1, 65/1, 68/1 व 83/1 कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जिसका नये नाप से 2 बीघा 12 बिस्वा बनता है नये पुराने नक्शा ट्रेस के मिलान अनुसार वादीगण को उसका खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे। (ब) पटवारी हल्का अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 531 रकबा 1310 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदार में दर्ज है विकल्प में यह वादीगण चाहते है कि वादीगण की खातेदारी भूमि उक्त हाल बन्दोबस्ती खसरा 531 पाये जाने पर प्रतिवादी सख्या 3 की 2 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी समाप्त की जाकर वादीगण को उक्त रकबे की खातेदारी दिये जाने बाबत डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर

लगातार पेज सख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

फरमायी जावे । (स) प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को उनके कब्जे वाली खातेदारी भूमि से बेदखल नही करे, उनके कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप नही करे न भूमि का प्रशासनिक बल के आधार पर विवाद स्वरूप भूमि मान वादीगण को उनकी खातेदारी भूमि पर आने जाने व काश्त करने से रोके। (द) अन्य अनुतोष उचित वादपत्र हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे पैरोकार सरकार उपस्थित, वन विभाग की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीलाल सुराणा को पैनल लॉयर नियुक्त किया गया।

उक्त प्रकरण में पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

पैरोकार सरकार ने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 से 3 रिकॉर्ड से सम्बन्धित हैं। चरण संख्या 4 से 5 स्वयं सिद्ध करें। चरण संख्या 6 से 8 कानूनी हैं। चरण संख्या 9 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित हैं। चरण संख्या 10 से 12 कानूनी हैं। चरण संख्या 13 से 16 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित हैं। वादीगण का वाद नियमानुसार निस्तारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 03 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जो निम्नानुसार हैं।

वादपत्र की चरण संख्या एक अस्वीकार। मौजा बांका की आराजी नम्बर 531 रकबा 1310 बीघा 10 बिस्वा संम्वत 2022 से वन विभाग के नाम होकर वन विभाग के ब्लॉक जलेन्द्री में 79 चीग 10 बिस्वा एवं ब्लॉक बांका में 1231 बीघा भूमि वन भूमि हैं । उक्त भूमि का अमलदरामद वन विभाग के नाम होकर वन विभाग के अधिपत्य में है तथा उक्त भूमि का बंदोवस्त होते वक्त वादी द्वारा कभी भी हक जाहिर नहीं किया गया। ना ही वनभूमि घोषित होने के उपरन्त कभी वादी द्वारा कास्त की गयी है संयुक्त राजस्थान वन बंदोवस्त उदयपुर की विज्ञप्ति संख्या 6707 दिनांक 7.1.1948 से उक्त भूमि को आरक्षित वनक्षेत्र घोषित किया गया है। वर्तमान में यह वनक्षेत्र राजस्थान सरकार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ न 3 (12) वन/ 2019 जबपुर दिनांक 18.05.2022 से रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण बूंदी का आरक्षित क्षेत्र घोषित है। वादपत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार। मौजा बांका की आराजी नम्बर 531 रकबा 1310 बीघा 10 बिस्वा संम्वत 2022 से वन विभाग के नाम होकर वन विभाग के ब्लॉक जलेन्द्री में 79 बीघा 10 बिस्वा एवं ब्लॉक बांका में 1231 बीघा भूमि का हिस्सा होकर वन विभाग के नाम पर दर्ज रिकार्ड वनक्षैत्र है वक्त दौरान वन बंदोवस्त वादी द्वारा कभी भी आपत्ति दर्ज नहीं की ना ही उक्त खसरे का अमलदरामद वन विभाग के नाम होते समय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्र.स. 171/96 दिनांक 12.12.1996 से दिये गये निर्णय अनुसार वनभूमि को बिना केन्द्रीया सरकार की पूर्व अनुमति गैरवानिकी कार्य हेतु नहीं दी जा सकती है। वादपत्र की चरण सख्या 3 अस्वीकार है। वर्ष 1948 से ही उक्त भूमि पर वन विभाग का अधिपत्य चला आ रहा है। वादपत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार है। यह की उक्त भूमि पर 1948 से ही वन विभाग का अधिपत्य रहा है। है संयुक्त राजस्थान वन बंदोवस्त उदयपुर की विज्ञप्ति संख्या 6707 दिनांक 7.1.1948 से उक्त भूमि को आरक्षित वनक्षेत्र घोषित किया गया है। वादपत्र की चरण संख्या 5 अस्वीकार है। उक्त भूमि वन भूमि है। वादपत्र की चरण संख्या 6 अस्वीकार। मौजा बांका की आराजी, नम्बर 531 रकथा 1310 बीघा 10 बिस्वा संम्वत 2022 से वन विभाग के नाम होकर वन विभाग के ब्लॉक जलेन्दी में 79 बीघा 10 बिस्वा एवं ब्लॉक बांका में 1231 बीघा भूमि का हिस्सा होकर वन विभाग के नाम पर दर्ज रिकार्ड वनक्षैत्र है वक्त दौरान वन बंदोवस्त वादी द्वारा कभी भी आपत्ति दर्ज नहीं की ना ही उक्त खसरे का अमलदरामद वन विभाग के नाम होते समय। यह कि संम्वत 2022 से ही उक्त भूमि पर वन विभाग का अधिपत्य है। वाद पत्र संख्या चरण 7 अस्वीकार है। मौजा बांका की आराजी नम्बर 531 रकबा 1310 बीपण 10 बिस्वा को वन विभाग के नाम अमलदरामद किया गया है। वन संरक्षक अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार वनभूमि को बिना केन्द्र सरकार के अनुमति के गैस्वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 II III के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज वनभूमि को बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आंवटित नहीं की जा सकती। वादपत्र की चरण संख्या 8 अस्वीकार है। संम्वत 2022 से ही उक्त भूमि पर वन विभाग का अधिपत्य में है। वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने से राज्य सरकार आरक्षित वनक्षेत्र को बिना डिनोटिफाई करवाये बिना वनभूमि के बारे में निर्णय नही कर सकती है।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 131/2014 (टी एच सी) रामस्वरूप यादव बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य में न. जी.टी. द्वारा दिनांक 22.2.2015 को निर्णय। वादपत्र की चरण संख्या 9 अस्वीकार है। है संयुक्त राजस्थान वन बंदोवस्त उदयपुर की विज्ञप्ति संख्या 6707 दिनांक 7.1.1948 उक्त भूमि को आरक्षित वनक्षेत्र ोषित किया गया है। वर्तमान में यह वनक्षेत्र राजस्थान सरकार वन विभाग की अधिसूचना कमांक एफ न 3 12) चल/2019 जयपुर दिनांक 18.05.2022 से रामगढ़ विषधारी विषधारी वन्यजीव अभ्यारण बूंदी का ारक्षित क्षेत्र घोषित है। वादपत्र की चरण सख्या 10 अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 11 अस्वीकार ै। मौजा बांका की आराजी नम्बर 531 रकबा 1310 बीघा 10 बिस्वा संम्बत 2022 से वन विभाग के नाम ोकर वन विभाग के ब्लॉक जलेन्दी में 79 बीघा 10 बिस्वा एवं ब्लॉक बांका में 1231 बीघा भूमि का हिस्सा ोकर वन विभाग के नाम पर दर्ज रिकार्ड वनक्षेत्र है वक्त दौरान वन बंदोवस्त वादी द्वारा कभी भी आपत्ति र्ज नहीं की ना ही उक्त खसरे का अमलदरामद वन विभाग के नाम होते समय। यह कि संम्वत 2022 से ी उक्त भूमि पर वन विभाग का अधिपत्य है। वादपत्र संख्या चरण संख्या 12 अस्वीकार है। वनभूमि पर वन ंरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने से राज्य सरकार आरक्षित वनक्षेत्र को बिना डिनोटिफाई करवाये बिना नभूमि के बारे में निर्णय नहीं कर सकती है। वादपत्र संख्या 13, 14, 15 प्रतिवादी से सम्बन्धित नहीं हैं। ादपत्र संख्या 16 के बिन्दु (अ) (ब) (स) (द) अस्वीकार है। मौजा बांका की आराजी, नम्बर 531 रकबा 310 बीघा 10 बिस्वां संवत 2022 से वन विभाग के नाम होकर वन विभाग के ब्लॉक जलेल्दी में 79 बीघा 0 बिस्वा एवं बांका में 1231 बीघा भूमि का हिस्सा होकर वन विभाग के नाम पर दर्ज रिकार्ड वनक्षेत्र है। भूमि का अमलदरामद वन विभाग के नाम होकर वन विभाग के अधिपत्य में है तथा उक्त भूमि बंदीस्त होते क्त वादी द्वारा कभी भी हक जाहिर नहीं किया गया। ना ही वनभूमि घोषित होने के उपरान्त कभी वादी द्वारा कास्त की गयी है संयुक्त राजस्थान वन बंदोबस्त उदयपुर की विज्ञप्ति संख्या 6707 दिनांक 7.1.1948 से उक्त भूमि को आरक्षित वनक्षेत्र घोषित किया गया है। वर्तमान में यह राजस्थान सरकार वन विभाग की अधिसूचना कमांक एफ न 3 (12) वन/ 2019 जयपुर दिनांक 18.05.2022 से रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण बूंदी का आरक्षित क्षेत्र घोषित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्र. स. 171/96 दिनांक 12.12. 1996 से दिये गये निर्णय अनुसार वनभूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति गैरवानिकी कार्य हेतु नहीं दी जा सकती है वन संरक्षक अधिनियम से प्रावधानों के अनुसार वनभूमि को बिना केन्द्र सरकार के अनुमति के गैरवानिकी कार्य हेतु वन अधिनियम 1980 की धारा 2 II III के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज वनभूमि को बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आंवटित नहीं की जा सकती। वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू के राज्य सरकार आरक्षित वनक्षेत्र को बिना डिनोटिफाई करवाये बिना वनभूमि के बारे में निर्णय नहीं कर सकती है। प्रकरण संख्या 131/2014 (टी एच सी) रामस्वरूप यादव बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य में एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 22.2.2015 को निर्णय संलग्न है। अतः वादपत्र वादीगण स.व्यय निरस्त किया जावें तथा प्रतिवादी गणो को प्रतिवाद खर्चा दिलाया जावे।

उक्त प्रकरण में वादपत्र के साथ शपथपत्र वादी, ग्राम बांका की नकल जमाबन्दी संवत 2010 से 2013, नकल जमाबन्दी संवत 2020 से 2023, मिलान खसरा, नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत 2035 से 2038, नक्शा ट्रेस, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगीलाल, आवंटन पत्र की फोटो प्रति, पोस्टल रसीद, AD रसीद, नोटिस धारा 80 दि0प्र0सं0 प्रस्तुत की हैं।

उक्त प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया मौजा बांका स्थित गत बन्दोबस्ती विवादित आराजी खसरा संख्या 64/1, 65/1, 68/1 व 83/1 किता 4 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वादीगण के द्वारा चन्दा जी भील के नाम दर्ज अभिलेख थी। ..... जिम्मे वादीगण

2. आया मौजा बांका स्थित विवादित आराजीयात को सेण्टलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के दादा चन्दा भील की खातेदारी को बिनाा किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एवं डिक्री के चन्दा भील की खातेदारी से विलोपित कर दिया गया जो अवैध हैं। ..... जिम्मे वादीगण

3. आया सेण्टलमेन्ट विभाग द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 64/1, 65/1, 68/1 व 83/1 के नये नम्बर क्या बनाए इसका कोई वर्णन मिलान खसरे में नहीं किया। ..... जिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। ..... जिम्मे वादीगण

लगातार पेज सख्या 05 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

5. आया वादीगण द्वारा आ0ख0नं0 64/1, 65/1, 68/1 व 83/1 के नये नम्बर क्या बने इस बाबत वादीगण ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं वादपत्र काबिल खारीजी के हैं।

..... जिम्मे प्रतिवादीगण

6. अनुतोष क्या होगा ?

पत्रावली में वादी द्वारा साक्ष्यवादी में PW-1 कल्याण पिता मांगीलाल भील उम्र वयस्क निवासी काबरी (मांगटला) तहसील बिजौलियां, PW-2 गंगाराम पिता मांगीलाल भील उम्र वयस्क निवासी रामपुरा तहसील बिजौलियां, PW-3 भैरू भील पिता बरदा भील उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां, PW-4 खाना पिता प्रभु भील उम्र वयस्क निवासी काबरी तहसील बिजौलियां के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण को बहस में रखा गया ।

बहस में अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिलाना चाहा हैं तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि वर्तमान में यह राजस्थान सरकार वन विभाग की अधिसूचना कमांक एफ न 3 (12) वन/ 2019 जयपुर दिनांक 18.05.2022 से रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण बूंदी का आरक्षित क्षेत्र घोषित होना बताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्र. स. 171/96 दिनांक 12.12.1996 से दिये गये निर्णय अनुसार वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति गैरवानिकी कार्य हेतु नहीं दी जा सकती है वन संरक्षक अधिनियम से प्रावधानों के अनुसार वनभूमि को बिना केन्द्र सरकार के अनुमति के गैरवानिकी कार्य हेतु वन अधिनियम 1980 की धारा 2 II III के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज वनभूमि को बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आंवटित नहीं की जा सकती। वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू के राज्य सरकार आरक्षित वनक्षेत्र को बिना डिनोटिफाई करवाये बिना वनभूमि के बारे में निर्णय नहीं कर सकती है। प्रकरण संख्या 131/2014 (टी एच सी) रामस्वरूप यादव बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य में एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 22.2.2015 को निर्णय संलग्न किया है। इसलिए वादीगण का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाना चाहा हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम बांका स्थित गत बन्दोबस्ती खसरा सख्या 64/1, 65/1, 68/1 व 83/1 कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जिसका नये नाप से 2 बीघा 12 बिस्वां भूमि के संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार/खारीज** किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 20/11 /2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ